

न्यायालय उप जिलाधिकारी सिकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर
बाद सं० टी२०१४१११७०४४/४४
लक्ष्मी ऐजुकेशनल सोसायटी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार

धारा १४३ जमीन वि० एवं भूमि वि० अधि०
मौजा रूपवास पंचगाई परगना
व तहसील सिकन्द्राबाद।

निर्णय

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र लक्ष्मी ऐजुकेशनल सोसायटी १/५२१ वसुन्धरा गाजियाबाद द्वारा अध्यक्ष हिमांशु शर्मा पुत्र श्री राजकुमार शर्मा निवासी डी० ६२० भजनपुरा दिल्ली-५३ के द्वारा इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी खाता संख्या ४३५ गाटा संख्या २४८/१०५३ रकबई ०.१५३० हैक्टे० व खाता संख्या ३३ गाटा संख्या २४१म रकबई ०.०२०० हैक्टे० व खाता संख्या २९० गाटा संख्या २४१म रकबई ०.०१३३ हैक्टे० व खाता संख्या ४३६ गाटा संख्या २४५म रकबई ०.२४०० हैक्टे० व गाटा संख्या २४५म रकबई ०.०४३० हैक्टे० कुल दो किता रकबई ०.२८३० हैक्टे० व खाता संख्या ६०९ गाटा संख्या २४१म रकबई ०.०१३३ हैक्टे० व खाता संख्या ३१३ गाटा संख्या २४३ रकबई ०.६४०० हैक्टे० व खाता संख्या १८९ गाटा संख्या २४१म रकबई ०.०२५० हैक्टे० कुल १.१६७० हैक्टे० भूमि स्थित ग्राम रूपवास पंचगाई परगना व तहसील सिकन्द्राबाद का स्वामी व मालिक है। प्रार्थी ने उक्त भूमि में चार दीवारी निर्मित कर ली है। उक्त वर्णित भूमि में कृषि नहीं हो रहा है। अतः प्रार्थी की भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किया जावे।

प्रार्थना पत्र को जांच तहसीलदार सिकन्द्राबाद से कराई गई। तहसीलदार सिकन्द्राबाद की जांच आख्या दिनांक २०.१२.२०१४ प्राप्त हुई, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत भूमि का वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन ही है। भूमि जमीन अधिनियम की धारा १३२ के अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं है। भूमि किराी विकास प्राधिकरण अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा अधिगृहीत अथवा अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित नहीं है। भूमि स्थित ग्राम रूपवास पंचगाई परगना व तहसील सिकन्द्राबाद के गाटा संख्या २४१म/०.०१३३ हैक्टे०, २४१म/०.०१३३ हैक्टे०, २४१म/०.०१३३ हैक्टे०, २४१म/०.०२५० हैक्टे०, २४३/०.६४०० हैक्टे०, २४५/०.२८३० हैक्टे० व २४८/१०५३ रकबई ०.१५३० हैक्टे० कुल सात किता रकबई १.१४०३ हैक्टे० में स्थल पर चार दीवारी हो रही है। उक्त भूमि में मौके पर कृषि, लागवानी, मतस्य पालन व कुकुट पालन आदि का कार्य नहीं हो रहा है। अतः प्रश्नगत भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार सिकन्द्राबाद की जांच आख्या एवं अन्य साक्ष्यों का अध्ययन व अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व तहसीलदार सिकन्द्राबाद की जांच आख्या से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है दलित भूमि अकृषिक कार्य में उपयोग हो रही है। अतः ऐसी दशा में प्रश्नगत भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने में कोई वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है।

आदेश

खाता संख्या ३३ गाटा संख्या २४१म रकबई ०.०१३३ हैक्टे० लगाने ०.१३
खाता संख्या २९० गाटा संख्या २४१म रकबई ०.०१३३ हैक्टे० लगाने ०.१३
६०९ गाटा संख्या २४१म रकबई ०.०१३३ हैक्टे० लगाने ०.१३

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग
- 143 जमींदारी एवं भूमि अधि
नियंत्रण अधिनियम 1937 के अन्तर्गत
नियंत्रण अधिनियम 1937 के अन्तर्गत

न्यायालय
वार सं० टी2014117044/89
लक्ष्मी ऐजुकेशनल सोसायटी

बनारस

सिकन्दराबाद

जिला

परवानी, अमालदरामहर

उत्तर प्रदेश सरकार

धारा 143 जमींदारी एवं भूमि अधि
नियंत्रण अधिनियम 1937 के अन्तर्गत
व तहसील सिकन्दराबाद।

तहसीलदार
सिकन्दराबाद।

उपरोक्त वार में न्यायालय के आदेश दिनांक 22-12-2014 के अन्तर्गत खाता संख्या 33 गाटा संख्या 241 म रकबई 0.0133 हैक्टेर लगानी 0.65 रु०, खाता संख्या 290 गाटा संख्या 241 म रकबई 0.0130 हैक्टेर लगानी 0.65 रु०, खाता संख्या 609 गाटा संख्या 241 म रकबई 0.0130 हैक्टेर लगानी 0.65 रु०, खाता संख्या 189 गाटा संख्या 241 म रकबई 0.0250 हैक्टेर लगानी 0.125 रु०, खाता संख्या 313 गाटा संख्या 243 रकबई 0.6400 हैक्टेर लगानी 22.05 रु०, खाता संख्या 436 गाटा संख्या 245 रकबई 0.2830 हैक्टेर लगानी 08.85 रु० व खाता संख्या 435 गाटा संख्या 248/1053 रकबई 0.1530 हैक्टेर लगानी 08.85 रु० व अधिक भूमि स्थित ग्राम रूपवास पंचगाई परगना व तहसील सिकन्दराबाद जिला बुलन्दशहर को जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 नियम 135 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किया गया है।

अतः उपरोक्त आदेश का राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद कर परवाना की रकम प्रति इस न्यायालय को अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें।

22-12-14

(अतुल कुमार)
उप जिलाधिकारी
सिकन्दराबाद।

संख्या 433/2014 / तद दिनांक 22-12-14
प्रतिनिधि- सय सचिवदार सिकन्दराबाद को इस आशय से कि वह जमींदारी विनाश अधिनियम नियमावली के नियम 137 के अनुसार कार्यवाही करके जिला सचिवदार को भेजने का कष्ट करें।

सय सचिवदार

22-12-14
22-12-14

सिकन्दराबाद

233

उप जिलाधिकारी
सिकन्दराबाद।

22-12-14
22-12-14